

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -
01/2019 अपील

तारीख दायर
09.08.2019

तारीख फैसला
14.10.2019

उनवान

खाना पिता कल्याण जाट निवासी सोला का खेड़ा तहसील शाहपुरा

- अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 10.09.2015 पटवार
हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपरिथत :- श्री रामप्रसाद जाट
अभिभाषक अपीलान्त

--: निर्णय :-

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- अपीलान्त ने अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 10.09.2015 विरुद्ध रेस्पोजेन्ट तहसीलदार शाहपुरा के प्रस्तुत की गई, जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार से है। अपीलान्त ग्राम सोला के खेड़ा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा का मूल निवासी होकर कृषि आराजियात नामा संख्या 219 किता 5/243 रकबा 0.93 हैक्टेयर ग्राम सोला का खेड़ा में स्थित है। अपीलान्त के निकट ग्राम जुवारों का खेड़ा में अपीलान्त के हुबुहू नाम व जाति का व्यक्ति खाना पिता कल्याण जाट, जो कि जुवारों का खेड़ा का निवासी है। जिसके नामा संख्या 143 खसरा संख्या 112 रकबा 0.75 हैक्टेयर ग्राम जुवारों का खेड़ा में स्थित है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। विरासत से उत्तराधिकारी सोहनी पत्नि खाना प्रहलाद, रामजस, गणेश, मूलचन्द, पिता खाना, समता, समोक पुत्रियां खाना के नाम का इन्तकाल दिनांक 10.09.2015 को खोला गया। अपीलान्त जो कि वर्तमान में जीवित है, उसके उत्तराधिकारी सप्यारी देवी पत्नि भैरु पुत्र है। राशन कार्ड बना हुआ है। हल्का पटवारी की लापरवाही से अपीलान्त को मृतक मानकर उत्तराधिकारियों के नाम इन्तकाल खोना गया है, जो कि गैरकानूनी व अवैध होने निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 219 दिनांक 10.09.2015 ग्राम सोला का खेड़ा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 24.0.2019 को रेस्पोजेन्ट वावजूद सम्मन तामिल उपरिथत नहीं होने से बहस अभिभाषक अपीलान्त सुनी गई। बहस में अभिभाषक अपीलान्त ने बताया कि खाना पिता

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

कल्याण जाट निवासी सोला का खेड़ा होकर उसकी जमीन ग्राम सोला का खेड़ा में स्थित है। खाना पिता कल्याण जाट निवासी जुवारों का खेड़ा का होकर उसकी जमीन जुवारों का खेड़ा में स्थित है। दोनों नामा० प्रस्तुत किये गये हैं। जीवित व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है। अतः नामा० निरस्त किया जावे।

बहस पर मनन एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। नामा० 219 दिनांक 10.09.2015 ग्राम सोला का खेड़ा अनुसार खाना पिता कल्याण जाट साकिन देह है, की मृत्यु से विरासत का इन्तकाल सोहनी पत्नी खाना प्रहलाद, रामजस, गणेश, मूलचन्द, पिता खाना, समता, समोक पुत्रियां खाना जाट साकिन देह इन्द्राज किया गया है।

नामा० 143 दिनांक 10.09.2015 ग्राम जुवारों का खेड़ा अनुसार खाना पिता कल्याण जाट साकिन देह है, की मृत्यु से विरासत का इन्तकाल सोहनी पत्नी खाना प्रहलाद, रामजस, गणेश, मूलचन्द, पिता खाना, समता, समोक पुत्रियां खाना जाट साकिन देह इन्द्राज किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत प्रतापपुरा द्वारा जीवित प्रमाण पत्र अनुसार खाना पिता कल्याण जाट निवासी सोला का खेड़ा अभी जीवित है, जबकि जुवारों का खेड़ा इसी नाम का व्यक्ति खाना पिता कल्याण जाट की मृत्यु हो चुकी है। परिवार राशन कार्ड संख्या 20001851435 ग्राम सोला का खेड़ा अपीलान्ट का राशन कार्ड बना हुआ होकर फोटोप्रति प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट जीवित होते हुये भी उसको मृतक बताकर सरपंच ग्राम पंचायत प्रतापपुरा द्वारा इन्तकाल नम्बर 219 दिनांक 10.09.2015 को स्वीकार किया गया, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:: आदेश ::—

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा० संख्या 219 दिनांक 10.09.2015 ग्राम सोला का खेड़ा ग्राम पंचायत प्रतापपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में नामा० पुनः भरा जाकर विधिसम्मत जांच कर निर्णय पारित करें। निर्णय प्रमाणित प्रति तहसीलदार शाहपुरा को भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(महावीर प्रसाद नायक)
आर०ए०एस०

सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)